२१।१।१९

पत्रावली पेश / वकील पक्षकार उप०। आपत्ति पर
आपत्ति पत्र के खारिज किया जाता है विरुद्ध
निर्णय प्रकाशित किया जाए पत्रावली दाखिल
दफ्तर हो पत्रावली फैसल शुमार की जाकर
बाद तामील पत्रावली जिला लेखागार
में दाखिल हो

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :–सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
236/2025	13.10.2025	22.12.2025

बउनवान

1. मीरसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी गोलाहेडा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. शीशराम पुत्र जगराम जाति जाट निवासी जाट निवासी गोलाहेडा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. अनूप पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी गोलाहेडा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. मनदीप पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी गोलाहेडा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री सरजीत कुमार –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री सीताराम चौधरी –: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमे मिन प्रार्थीया को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उक्त वाद के समर्थन में मिन ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है, जिसमें मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजी ख0न0 48 रकबा 2.07 हैक०, वाके ग्राम गोलाहेडा तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा में मिन प्रार्थी व तर० प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी है तथा उकत आराजी से अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है, ना ही आराजी पर काबिज काश्त है किन्तु अप्रार्थीगण लट्ठ व ताकत के बल पर मिन प्रार्थीगण की आराजी पर दिनांक 11/10/2025 को जबरन कब्जा कर, नीव खोदकर निर्माण कार्य चालु कर दिया, जो गैर कानूनी किया गया है।
4. यह है कि आराजी ख0न0 46 रकबा 0.31 हैक० वाके ग्राम गोलाहेडा में अप्रार्थी स० 1 की कब्जेकाश्त की आरजी है, जो आराजी ख०न० 48 के साथ लगती हुयी है. तथा अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी की आराजी के साथ अपनी लगती हुयी आराजी का बेजा फायदा उठाकर, मिन प्रार्थी के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

की आराजी पर जबरन कब्जा कर, नींव खोदकर दिनांक 11/10/2025 को निर्माण कार्य चालु कर दिया तथा प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को नींव खोदने व निर्माण कार्य नहीं करने के लिये कहा तो अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी से झगडा फिसाद किया तथा नींव खोदना बन्द नही किया, तथा जबरन निर्माण करने की धमकी दी, जिस पर मिन प्रार्थी ने पुलिस थाना मुण्डावर को सूचित किया तो पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा पेश करना लाजिमी आया है।

5. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थी व तर० प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त की आराजी रही है तथा मिन प्रार्थी अपने अधिकारों की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है तथा अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे मिन प्रार्थी के कब्जेकाश्त की आराजी ख0न0 48 रकबा 2.07 है0, को दबाकर कोई निर्माण कार्य नही करे, ना ही आराजी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे, ना ही आराजी में प्रवेश करे तथा जो निर्माण कार्य किया है, उसे मिसमार किया जावे तथा तथा अप्रार्थीगण के खर्चा से हटवाया जावे तथा डोल बंधी की जावे तथा आदेशात्मक व्यादेश की डिकी जारी की जावे व निर्माण कार्य करने से रोका जावे।
6. यह है कि प्रार्थीगण का केस प्रायमा फेसाई है तथा बैलेंस आफ कन्वीनेंस बहक वादी है, यदि अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अजहद क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ती रूपयै पैसो में नही की जा सकती है, इसलिए अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजी ख0न0 48 में काई निर्माण कार्य नही करे, ना ही डोल तोडे तथा जो डोल तोडकर नींव खोदी है, उसे अप्रार्थीगण के खर्चे पर पूर्व की स्थिति बहाल करायी जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थी को ताःफैसला दावा हु० ई० दवामी सेपाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजी हाल ख०न० 48 रकबा 2.07 हैक०, वाके ग्राम गोलाहेडा तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य नही करे, ना ही आराजी की डोल को तोडकर नींव खोदे, ना ही आराजी में प्रवेश करे, ना ही आराजी में किसी भी प्रकार से रूकावट पैदा करें, प्रार्थीगण के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे। । हल्फनामा संलग्न है।

जवाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थीगण की और से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि पैरा स० 1 इतना स्वीकार है कि उपरोक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नहीं हैं प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही रखनी चाहीए।
2. यह है कि पैरा स० 2 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने नाकाबिल दस्तावेज व झूठा शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फेसाई आयद वो साबित है।
3. यह है कि पैरा स० 3 इतना स्वीकार है कि जिम्मन में वर्णीत आराजी वाके ग्राम गोलाहेडा तह० मुण्डावर में प्रार्थी व तर० प्रतिवादीगण की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

की आराजी है तथा उक्त आराजी से हम अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है तथा ना ही आराजी पर काबिज काश्त है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है। हम अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थी की आराजी पर कथित दिनांक को कोई निर्माण कार्य चालु नहीं किया है, बल्कि हम अप्रार्थीगण ने अपनी आराजी में प्रार्थी की तरफ डोल को करीब 5–6 फुट जगह छोडकर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

4. यह है कि पैरा स० 4 इतना स्वीकार है कि जिम्मन में वर्णीत ख0न0 46 रकबा 0.31 है0, वाके ग्राम गोलाहेडा में मिन अप्रार्थी स० 1 की कब्जेकाश्त की आराजी है, जो आराजी प्रार्थी की आराजी के साथ लगती हुयी है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नहीं हैं हम अप्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है तथा हम अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थी की आराजी पर कब्जा कर, कोई कथित दिनांक को निर्माण कार्य चालु नही किया है बल्कि हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी की डोल को करीब 5–6 फुट जगह छोडकर निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा जब हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी को दबाकर कोई निर्माण कार्य ही चालु नही किया है तो ऐसी सुरत में प्रार्थी द्वारा मना करने व हम अप्रार्थीगण द्वारा लडाई झगडा करने का सवाल ही पैदा नही होता है तथा वादी को वाद हेतु कोइ बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नही होती है।
5. यह है कि पैरा स० 5 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी ने जिम्मन हाजा में समस्त तथ्य मिथ्या व मनघंडत दर्ज किया है, जबकी हम अप्रार्थीगण अपनी आराजी ख0न0 46 पर काबिज काश्त है तथा हम अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थी की आराजी ख0न0 48 पर कब्जा कर कोई निर्माण नही कर रहे है बल्कि हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी की डोल की तरफ करीब 5–6 फुट जगह छोडकर निर्माण कर रहे है तो प्रार्थी किसी भी प्रकार से हम अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र काबिले खारीज है। खारीज फरमाया जावे।.
6. यह है कि पैरा स० 6 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार प्रार्थीगण का वाद गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण वादीगण को प्रायमा फैसाई आयद वो साबित नही है तथा ना ही मिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थी की आराजी पर कोई निर्माण किया जा रहा है, बल्कि हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी की डोल को करीब 5–6 फुट जगह छोडकर निर्माण कर रहे है तो ऐसी सुरत में प्रार्थीगण को कोई क्षति कारित नही होती है तथा ना ही प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थी पक्ष की विस्तृत बहस

प्रार्थी अधिवक्ता श्री सरजीत कुमार द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 48 रकबा 2.07 हैक्टेयर ग्राम गोलाहेडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा स्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं उसके परिवार का लम्बे समय

मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

से शांतिपूर्ण काश्तकाराना कब्जा चला आ रहा है, जिसकी पुष्टि राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजों से होती है।

यह भी निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 46 प्रार्थी की आराजी से लगी हुई है, जिसका अप्रार्थीगण द्वारा अनुचित लाभ उठाते हुए दिनांक 11.10.2025 को लट्ठ व ताकत के बल पर प्रार्थी की आराजी में डोल तोड़कर नींव खोदते हुए अवैध निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। जब प्रार्थी द्वारा विरोध किया गया तो अप्रार्थीगण द्वारा झगड़ा–फसाद किया गया तथा निर्माण कार्य जारी रखने की धमकी दी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण का यह कृत्य पूर्णतः गैर–कानूनी है तथा प्रार्थी के खातेदारी व काश्त अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रार्थी ने पुलिस थाना मुण्डावर में भी सूचना दी, किन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई, जिससे विवश होकर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि प्रार्थी का वाद प्रायमा फेसाई मजबूत है, क्योंकि भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा निर्विवाद रूप से प्रार्थी का है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी प्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि यदि निर्माण कार्य जारी रहा तो भूमि का स्वरूप स्थायी रूप से बदल जाएगा तथा प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति धन से संभव नहीं है।

अतः न्यायहित में यह आवश्यक है कि अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाए तथा उनके द्वारा की गई अवैध नींव एवं निर्माण कार्य को हटाकर भूमि की पूर्व स्थिति बहाल करवाई जाए।

अप्रार्थी पक्ष की विस्तृत बहस
अप्रार्थी अधिवक्ता श्री सीताराम चौधरी द्वारा प्रार्थी के समस्त तर्कों का खंडन करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यहीन, मनगढ़ंत एवं दुर्भावनापूर्ण है। अप्रार्थीगण ने किसी भी प्रकार से प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 48 पर न तो कब्जा किया है और न ही वहां कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है।

अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 46 है, जिस पर अप्रार्थीगण विधिसम्मत रूप से निर्माण कार्य कर रहे हैं तथा प्रार्थी की आराजी की डोल की ओर लगभग 5–6 फीट की खुली जगह छोड़ी गई है। इस स्थिति में प्रार्थी की भूमि में अतिक्रमण का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

यह भी तर्क दिया गया कि यदि वास्तव में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया होता, तो प्रार्थी सक्षम साक्ष्य, मौके का निरीक्षण या राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता, जो कि इस प्रकरण में अनुपस्थित है। मात्र आरोपों के आधार पर निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अप्रार्थी अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रार्थी का मामला प्रायमा फेसाई सिद्ध नहीं होता, न ही उसे किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। इसके विपरीत यदि अप्रार्थीगण के वैध निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाती है, तो उन्हें अनावश्यक हानि एवं नुकसान उठाना पड़ेगा।

अतः प्रार्थना पत्र विधि एवं तथ्यों के अभाव में अस्वीकार्य है और इसे मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र, जवाब, संलग्न दस्तावेजों एवं दोनों पक्षों की बहस का अवलोकन किया। रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं होता कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी ख०नं० 48 पर अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है। अप्रार्थीगण का यह कथन कि निर्माण अपनी आराजी ख०नं० 46 पर किया जा रहा है तथा प्रार्थी की डोल से 5–6 फीट की दूरी रखी गई है, का इस स्तर पर खंडन करने हेतु प्रार्थी कोई ठोस व निर्विवाद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

अतः प्रायमा फेसाई अधिकार, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस तथा अपूरणीय क्षति— तीनों कसौटियाँ प्रार्थी के पक्ष में संतोषजनक रूप से स्थापित नहीं होतीं। इस चरण पर निषेधाज्ञा अथवा आदेशात्मक व्यादेश देना न्यायोचित नहीं पाया जाता।

आदेश

उपरोक्त कारणों से प्रार्थी द्वारा धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकृत/खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0